कार्यालय—अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक— 1780 / FP/UK/ROAD/9582/2015 :देहरादून:दिनांकः 28 नवम्बर,2017

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक (केन्द्रीय),
भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, 25 सुभाष रोड़, देहरादून।

विषयः— जनपद—चमोली में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत मींग गदेरा से डांगतोली मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.919 हे0 वन भूमि के गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।

संदर्भः— भारत सरकार का पत्रॉक—8बी / यू.सी.पी. / 06 / 60 / 2015 / एफ0सी0 / 985 दिनांक 14—08—2015.
(ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या— FP/UK/ROAD/9582/2015)

महोदय,

कृपया भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिससे भारत सरकार द्वारा विषयॉकित वन भूमि हस्तान्तरण प्रकरण पर कतिपय शर्तो के तहत सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र में अधिरोपित शर्तो की अनुपालन आख्या प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर के पत्रांक—1784 / 12—1 दिनांक 08—11—2017 **(प्रति संलग्न)** के माध्यम से इस कार्यालय को प्रेषित की गयी है, जिसे निम्नानुसार संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है :—

1. भारत सरकार की शर्त संख्या—1 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के बदले प्रस्तावित 7.838 हे0 ग्राम—सनेड़ व ज्यूडा सिविल सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षो तक रख—रखाव हेतु रूपये 16,41,010.00 मात्र की धनराशि ऑनलाईन चालान के माध्यम से तदर्थ कैम्पा कोष में जमा करा दी गई है। क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चिन्हित 7.838 हे0 ग्राम—सनेड़ व ज्यूडा सिविल एवं सोयम भूमि को वन विभाग के पक्ष में म्यूटेशन किया जा चुका है। म्यूटेशन किये गये भूमि के अभिलेख खसरा खतौनी के नकल की प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। (संलग्नक—1)
2. शर्त संख्या—2 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा एन0पी0वी0 की देय धनराशि रूपये 33,11,555.00 मात्र ऑनलाईन चालान के माध्यम से तदर्थ कैम्पा कोष में जमा करा दी गई है।
3. शर्त संख्या—3 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रेषित एन0पी0वी0 की दरों में वृद्धि होने पर देय धनराशि जमा किये जाने के वचनबद्धता का प्रमाण—पत्र संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। (संलग्नक—2)
4. शर्त संख्या—4 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उपरोक्तानुसार क्षतिपूरक वृक्षारोपण, एन0पी0वी0 एवं शर्त संख्या—5 के अनुपालन में Strip Plantation हेतु देय धनराशि रू0 20,60,000.00 सहित कुल धनराशि रू0 70,12,565.00 मात्र ऑनलाईन चालान के माध्यम से तदर्थ कैम्पा कोष में जमा करा दी गई है। (संलग्नक—3)

अतः अनुरोध है कि विषयाँकित प्रकरण की महत्ता को दृष्टिगत रखते हुये प्रकरण पर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति प्रदान किये जाने पर विचार करने का कष्ट करें।

(संलग्नः—यथोपरि)

भवदीय,

(विनोद कुमार)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी

संख्या :—1780 / FP/UK/ROAD/9582/2015 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. प्रभारी सचिव, वन एवं पर्यावरण अनुभाग—4, उत्तराखण्ड शासन।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।
3. मुख्य अभियन्ता, यू0आर0आर0डी0ए0, सहत्रधारा रोड़, देहरादून।
4. अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, पी0एम0जी0एस0वाई0, खण्ड कर्णप्रयाग।

(विनोद कुमार)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी